न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या – 233/2017

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

धर्मेन्द्र पुत्र मोती सिह जाति रावणा राजपूत निवासी बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम वास्ते नक्शा दुरूस्ती

निर्णय

दिनांकः–30.6.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प बघेरा में पेश हुई। प्रार्थी/अप्रार्थी उपस्थित संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है–

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम वास्ते नक्शा दुरूस्ती के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की प्रार्थनापत्र वर्णित भूमि वाके बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर के आराजी जमाबन्दी स. 2069–72 खाता स. 604 के खसरा नम्बर 619/5117 , 620 , 621 कुल किता 3 कुल रकबा 1.02 है. दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है। उक्त जमाबन्दी स. 2069–72 के खाता स.604 में आराजीयात का नक्शा ट्रेस में अधिकारीयो की गलती से अन्यत्र स्थान पर दर्शित कर दिया गया है। जबकि जमाबन्दी स. 2041 के के खाता स. 320 के खसरा नम्बर 126/1 रकबा 61.10.00 किस्म माल सोयम मे है। वाद ग्रस्त आराजीयात में जमाबन्दी स. 2069–72 में नक्शा ट्रेस में किये गये गलत अंकन को संवत 2041 नक्शाट्रेस के आधार पर दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

हमने प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया। पत्रावली में आज केम्प कोर्ट बघेरा में पेश हुई । दौराने केम्प जवाब पेरोकार पेश हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत जवाब अनुसार बघेरा में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा नम्बर 126/1 का गलत अकन किया गया एवं जमाबन्दी स. 2027–28(नक्शा शुद्विकरण) किया जाना उचित बताया है वर्तमान खसरा नम्बर ,619/5117, 620,621 वादी की खातेदारी में दर्ज है। पुराने खसरा नम्बर 126/1 रकबा 1.02 है. से नये खसरा नम्बर 619/5117, 620, 621 रकबा क्रमंशः 0.30,0.21,0.51 बने है। तथ खसरानम्बर 126/2 रकबा 0.48 के नये खसरानम्बर619/5062 रकबा 0.48 बन है। जबकि नक्शा वर्तमान में 620 आशिक रूप से गलत एंव खसरा नम्बर 619/5062 भी आशिक रूप से गलत दर्ज है। तथा खसरा नम्ब्र 619/5117 भी पूर्ण रूप गलत खसरो में दर्ज है। अतः नक्शा शुद्विकरण संवत 2027–28 के अनुरूप दर्ज किया जाना उचित बताया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। जवाब सरकार एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। पेरोकार सरकार के जवाब अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थी के पक्ष में होना जाहिर होता है और वादी का वाद प्रार्थना पत्र प्रार्थी के प्राईमा फेमाईस प्रकरण बनता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम वास्ते नक्शा दुरूस्ती प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी के मुताबिक पैरोकार सरकार जवाब अुनसार मुताबिक नक्शा शुद्विकरण संवत. 2027–28 के अनुसार दुरूस्त किये जाने हेतु प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी को निर्णय की प्रति पृथक से पालना हेतु भिजवायी जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.6.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी